

## उत्तर प्रदेश शासन

## उत्तर प्रदेश के पिछडी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला अमरोहा तहसील अमरोहा

जारी दिनांक: 30/08/2022

आवेदन क्र० 221370030043844 प्रमाणपत्र क० 062223008975

प्रमाणित किया जाता है कि

आदित्य सैनी/Aditya Saini

सतीश कुमार

माता का नाम

पुत्र/पुत्री

,मोहम्मदी सराय

निवासी ग्राम

अमरोहा

तहसील जिला

अमरोहा

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>**सैनी**</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **आदित्य सैनी/Aditya Saini** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



Singh

स्थान : 9,Amroha (MB) - Ward No.9,अमरोहा,अमरोहा,अमरोहा

दिनाँक: 31/08/2022 हस्ताक्षर एंव मुहर

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित अमरोहा,अमरोहा दिनाँक:30/08/2022

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।